

डिग्री बमुकदमें ईब्लादाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 ब्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी
पीठासीन अधिकारी-मीनू वर्मा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:- 316 /2019

रमन देवी पत्नी विजेन्द्र जाति जाट निवासी 4 सीडीआर सहारणी तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ।
वादीया


बनाम्

विजेन्द्र पुत्र बलवन्त जाति जाट निवासी 4 सीडीआर सहारणी तहसील टिब्बी जिला
हनुमानगढ।
प्रतिवादी

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ मीनू वर्मा आर.ए.एस.के समक्ष वास्ते इनफिसाल
कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री सुभाषचन्द्र गर्ग वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री
महावीरप्रसाद वर्मा प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व
डिग्री दी जाती है कि प्रतिवादी के नाम से दर्ज वाकें चक नं0 4 सीडीआर के खातासं0
148 में अंकित 2.911 है0 भूमि की वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर
चक नं0 4 सीडीआर के खाता सं0 148 में से प्रतिवादी विजेन्द्र का नाम कलमजन
किये जाने के आदेश दिये जाते है।इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया
जावे।उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड
में अमल दरामद किया जावे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक
.....अदा करें।

बसब्ल मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक.....13-9-19.....को जारी
किया गया।



उप-अधिकारी एवं
(मीनू वर्मा)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी